<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.1-4/2015-हिं.अ.

दिनांक: 12-05-2015

<u>पृष्ठांकन</u>

विषय : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के बजाय, हिंदी में दिए जाना।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 के दिनांक 21.04.2015 के पत्र सं.14016/1/2015-हिंदी- I (विविध) द्वारा अग्रेषित राजभाषा विभाग के दिनांक 31 मार्च,2015 के पत्र सं.12019/01/2015-रा.भा.(शिका.)/निक्षेपित की एक प्रति संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/ केन्द्रों को सूचना/ आवश्यक कार्रवाई हेतु, एतद्द्वारा, पृष्ठांकित की जाती है।

संलग्नक: यथोपरि।

(संजीव चतुर्वेदी)
उप-सचिव

<u>वितरण:</u>

1. सभी केन्द्र-प्रमुखगण
2. सभी विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण।
3. निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
4. उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
5. उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
6. मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
7. मुख्य प्रापण अधिकारी/वरिष्ठ भंडार अधिकारी महोदय।
8. प्रशासन अधिकारी(सामान्य)।
9. प्रभारी-संकाय (कंप्यूटर सुविधा)- कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

सं. 12019/01/01/2015-रा.भा.(शिका.)/निक्षेपित

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

85728
9/4/15

एनडीसीसी-|| भवन, बी. विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय:- केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी की बजाय, हिंदी में दिये जाना ।

कृपया संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग को संबोधित श्री दीनानाथ बत्रा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, दिल्ली के दिनांक 16.03.2015, 17.03.2015, 18.03.2015 तथा 19.03.2015 (दो पत्र) के सभी पत्रों की पत्र सं. शि.सं.उ.न्यास/केंद्र सरकार/1/2014-15 की प्रतियां प्रेषित की जा रही है जिसमें उन्होंने आपके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा हिंदी समाचार पत्र में अंग्रेजी में दिए गए विज्ञापन का मामला उठाया है।

2. नियमानुसार हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिया जाना चाहिए न कि अंग्रेजी में । इस संबंध में राजभाषा विभाग की ओर से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों को भेजे गए दिनांक 17/07/2014 के परिपत्र सं. 12019/35/2013-रा.भा.(शि.) में यह सलाह दी गई थी कि हिंदी अखबार में हिंदी का विज्ञापन तथा अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी का विज्ञापन दें। यदि अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी का विज्ञापन दिया जाता है तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दें कि "अधिसूचना / विज्ञापन / रिक्त संबंधी परिपत्र का हिंदी रूपान्तर वेबसाइट पर उपलब्ध है .... (पूर्ण लिंक दी जाए)"। इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

3. आप अवगत हैं कि नियम 12(1) के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करें ।

4. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि नियम 12(2) के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधो के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

JS(OL)
426-C

फा.सं.14016/1/2015-हिन्दी-I (विविध)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 21.04.2015

विषयः केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के बजाय, हिन्दी में दिए जाना।

उपरोक्त विषय के संबंध में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 17 मार्च, 2015 के पत्र सं.शि.स.उ.न्यास/के.स./1/2014-15 (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को शिकायत की कि भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालय अपने विज्ञापन हिन्दी के अखबारों में अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं जो कि राजभाषा विभाग के आदेशों का उल्लंघन है।

राजभाषा विभाग ने कार्रवाई करते हुए अपने दिनांक 31 मार्च, 2015 के पत्र सं. 12019/01/01/2015-रा.भा.(शिका.)/निक्षेपित (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिवों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों को निदेश दें कि भविष्य में हिन्दी के अखबारों में विज्ञापन केवल हिन्दी में ही प्रकाशित किए जाएं।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, एम्स, भुवनेश्वर, एम्स, पटना आदि का उल्लेख किया है कि इन्होंने हिन्दी के अखबारों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिया है।

अतः मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि कृपया भविष्य में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन हिन्दी के अखबार में केवल हिन्दी में ही दिए जाएं।

(चरण सिंह)
उप-निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के प्रमुख।

प्रतिलिपिः

1. सहायक निदेशक (शिकायत), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी भवन-II बी विंग, चौथा तल जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को उनके कार्यालय के दिनांक 31 मार्च, 2015 के पत्र सं. 12019/01/01/2015-रा.भा.(शिका.)/निक्षेपित पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री दीनानाथ बत्रा, अध्यक्ष, शिक्षा संस्कृति न्यास, सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लॉक, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 को उनके कार्यालय के दिनांक 17 मार्च, 2015 के पत्र सं.शि.स.उ.न्यास/के.स./1/2014-15 पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

हिंदी अनुभाग/Hindi Section
अ.भा.आ.सं./A.I.I.M.S.
डायरी संख्या/D.No. 1687
दिनांक/Date 07/05/2015

कृपया पृष्ठांकन करें।
07-5-15
हिंदी अधिकारी

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, शिकायत पत्र के निस्तारण के लिए आवश्यक कर्रवाई करवाएं तथा की गई कार्रवाई से अभ्यावेदक को अवगत करवाने का कष्ट करें एवं इसकी की रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भी भेजें।

संलग्न : यथोपरि

(डा. अवनीन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक(शिका0)

सेवा में,

1. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली.
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
7. संयुक्त सचिव (प्रशासन), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जी.पी.ओ. काम्पलैक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली
8. संयुक्त सचिव (प्रशासन), औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली.
9. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
10. संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली.
11. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पर्यटन मंत्रालय, हर्टमैनट्स, डलौजी रोड, नई दिल्ली.
12. संयुक्त सचिव (प्रशासन), जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली.
13. संयुक्त सचिव (प्रशासन), रेल मंत्रालय, रेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली .
14. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
15. संयुक्त सचिव (प्रशासन), इलैक्ट्रोनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली.
16. संयुक्त सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.
17. संयुक्त सचिव (प्रशासन), स्कूल तथा सक्षारता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
18. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय, विज्ञान भवन, ए.एनेक्सी मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली.

19. संयुक्त सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी.जी.ओं. काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली
20. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
21. कार्यालयाध्यक्ष , ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड नगर हवेली लि. प्लाट न.-35, सोमनाथ, नाणी दमन.
22. संयुक्त सचिव (प्रशासन), संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
23. संयुक्त सचिव (प्रशासन), युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.

प्रतिलिपि-

श्री दीनानाथ बत्रा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लॉक, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028, आपकी शिकायत से संबंधित अखबार की कई कतरनें प्राप्त नहीं हुई है। ~~अनुरोध है कि~~ आप अपनी शिकायत के संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए उपर्युक्त मंत्रालयों / विभागों / कार्यालय आदि से सम्पर्क कर सकते हैं ।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028
☎:– 011–25898023, 65794966, 9811126445, 9868100445
website:bharatiyashikasha.com, Email:dina_nathbatra@hotmail.com, atulssun@gmail.com

पत्र सं.शि.स.उ.न्यास/ के.स./1 /2014-15 — 19 मार्च, 2015

संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन.डी.सी.सी. भवन II, 4थी मंजिल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001

विषय- केन्दीय सरकारों के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचाक पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के बजाय हिंदी में दिये जाना

उपरोक्त विषय पर आपके ध्यान में लाया जाता है कि राजभाषा विभाग के आदेशों के विपरीत निम्नलिखित कार्यालयों/संगठनों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिये गये हैं. इनकी कतरनें आगे की यथाआवश्यक कार्रवाई के लिये पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं.-

क्र	कार्यालय/संगठन	समाचार पत्र	दिहलांक
1	नैशनल इंस्टीट्यूट ऐंफ टेक्नॉलाजी,इंस्टीट्यशनल एरिया, नरेला, दिल्ली 110040	जनसत्ता	20.02.15
2	नैशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोमती नगर, लखनऊ	-यथोक्त-	12.02.15
3	इलाहाबाद बैंक, आंचलिक कार्यालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001	-यथोक्त-	15.03.15
4	वेस्ट जैन कल्चरल सेंटर, कणगौर घाट, उदयपुर संस्कृति मंत्रालय	जनसत्ता	25.02.15
5	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा.लि. मैसूर वितत्त मंत्रालय	नवभारत टाइम्स	19.02.15
6	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, तिरवनंतपुरम.695012	-यथोक्त-	23.02.15
7	स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियासॉल्ट लेक सिटी, सेक्टर III, कोलकता 700098	-यथोक्त-	02.03.15
8	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंस्टीट्यूशनसॉल एरिया नोएडा 201309	-यथोक्त-	03.03.15
9	रेल विकास निगम लि., अगस्त क्रांति भवन, नई दिल्ली 110068	-यथोक्त-	03.03.15
10	पं.दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैंडीकैप्पड, नई दिल्ली 110002	-यथोक्त-	03.03.15
11	-यथोक्त-	-यथोक्त-	16.02.15
12	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रुड़की मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-यथोक्त-	10.03.15
13	सीपीडब्लूडी, विद्युत भवन, नई दिल्ली शहरी विकास मंत्रालय	-यथोक्त-	14.02.15
14	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भारत सरकार संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय, सीजीओ कांप्ले.,लोधीरोड, नई दिल्ली -3	-यथोक्त-	19.02.15
15	मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेकनॉलॉजी, बॉयोतकनीक विभाग, नई दिल्ली 110003	-यथोक्त	05.03.15
16	सीपीडब्लूडी, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली	-यथोक्त-	10.02.15
17	नैशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हंस भवन, ब.शा.जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002	-यथोक्त-	11.02.15
18	सीपीडब्लूडी, इलेक्ट्रीकल दिवीजन कोच्चि (केरल)	-यथोक्त-	13.02.15

आपसे अनुरोध हैं कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाए तथा इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जाँच कराने के साथ-साथ इस संबंध में यथोचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित कर लें कि इनके हिंदी पाठ भी प्रकाशित हुए हैं. इस संबंध में कृत कार्रवाई/वस्तुस्थिति से न्यास को भी अवगत कराने काकष्ट करें.

संलग्न- कतरनें (18)

भवदीय,
(दीनानाथ बत्रा)
अध्यक्ष

क्र० सं० 36 (अ)

10253/DS/Policy/OL
26/3/15

373/AtHofm
26.3.15

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028
☎:– 011–25898023, 65794966, 9811126445, 9868100445
website:bharatiyashikasha.com, Email:dina_nathbatra@hotmail.com, atulssun@gmail.com

पत्र सं.शि.स.उ.न्यास/के.स./1 /2014-15

JSC04

18 मार्च, 2015

CENTRAL REGISTRY
Dy. No. 3208
24 MAR 2015

संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन.डी.सी.सी. भवन II, 4थी मंजिल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001

विषय- केन्द्रीय सरकारों के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के स्थान हिंदी में दिये जाना

उपरोक्त विषय पर आपके ध्यान में लाया जाता है कि राजभाषा विभाग के आदेशों के विपरीत निम्नलिखित कार्यालयों/संगठनों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिये गये हैं. इनकी कतरनें आगे की यथाआवश्यक कार्रवाई के लिये पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं.-

क्र	कार्यालय/संगठन	समाचार पत्र	दिनांक	
1	हैडक्वार्टर, नार्दर्न कमांड (इंजीनियर्स ब्रांच) रक्षा मंत्रालय	दैनिक जागरण	02.02.15	रक्षा मंत्रालय
2	सीपीडब्लूडी, अगरतला, त्रिपुरा शहरीविकास मंत्रालय	जनसत्ता	07.02.15	शहरी विकास
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, गोविंदपुरी,ग्वालियर 474011	दैनिक भास्कर	02702.15	पर्यटन मंत्रालय
4	कंसोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्युनिकेशन,अरुणा आसफ अली मार्ग , नई दिल्ली 110067	दैनिक जागरण	06.02.15	उच्चतर शिक्षा विभाग
5	नैशनलइंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, कुरुक्षेत्र 136119	दैनिक भास्कर	08.02.15	—
6	एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, गोविंदपुरी मैट्रो स्टेशन, नईदिल्ली 110020	दैनिक जागरण	08.02.15	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मं.
7	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	दैनिक जागरण	06.02.15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
8	-यथोक्त-	दैनिक भास्कर	06.02.15	—
9	टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019	जनसत्ता	14.03.15	पर्यटन मंत्रा.
10	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर त्रिवेन्द्रम वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय	नव भारत टिम्स	22.01.15	वित्तीय सेवा विभाग
11	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट एंड पंचायती राज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, 500030	दैनिक जागरण	22.01.15	ग्रामीण विकास
12	फॉरेस्ट रिसर्चइंस्टीट्यूट(डीम्ड) यूनिवर्सिटी, देहरादून 248195	-यथोक्त-	25.01.15	पर्यावरण वन
13	हैड क्वार्टर नार्दर्न कमांड (एवियेशन ब्रांच) रक्षा मंत्रालय	-यथोक्त-	21.02.15	रक्षा मंत्रा.
14	रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर्स 57 एफएमएसडी द्वारा 56 एपीओ (जबलपुर) रक्षा मंत्रालय	नवभारत टाइम्स	10.02.15	—
15	पं. दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्पड, 4 विष्णु दिगंबर मार्ग,नई दिल्ली 110002 (सामाजिक न्याय मंत्रालय)	दैनिक जागरण	20.02.15	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाए तथा इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जाँच कराने के साथ-साथ इस संबंध में यथोचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित कर लें कि इनके हिंदी पाठ भी प्रकाशित हुए हैं. इस संबंध में कृत कार्रवाई/वस्तुस्थिति से न्यास को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

सहायक
30/3/15

भवदीय,

दीनानाथ बत्रा
(दीनानाथ बत्रा)
अध्यक्ष

संलग्न- कतरनें (15)

उप सचिव
उप निदेशक (कार्यान्वयन)
26/3/15

क्र.हि. 35 (भा)

375/हि.म.प्रभा
26.3.15

10256/DS/Policy
26/3/15

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028
☎:– 011–25898023, 65794966, 9811126445, 9868100445
website:bharatiyashikasha.com, Email:dina_nathbatra@hotmail.com, atulssun@gmail.com

पत्र सं.शि.स.उ.न्यास/के.स./1 /2014-15 16 मार्च, 2015

संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन.डी.सी.सी. भवन II, 4थी मंजिल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001

JS(O4)

BH 3710
24 MAR

विषय- केन्दीय सरकारों के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचाक पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के बजाय हिंदी में दिये जाना

उपरोक्त विषय पर आपके ध्यान में लाया जाता है कि राजभाषा विभाग के आदेशों के विपरीत निम्नलिखित कार्यालयों/संगठनों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिये गये हैं. इनकी कतरनें आगे की यथाआवश्यक कार्रवाई के लिये पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं.-

क्र	कार्यालय/संगठन	समाचार पत्र	दिलांक
1	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंडइंजीनियर्स लि.,4346, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700024	दैनिक जागरण	29.01.15 रक्षा मंत्रालय
2	भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली 110023	दैनिक भाष्कर	31.01.15 आयुष मंत्रालय
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलुरु 560012	-यथोक्त-	02.02.15 उच्चतर शिक्षा विभाग
4	नैशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल,5-6, इंस्टी.एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली ~~110003~~	नवभारत टाइन्स	03.02.15 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
.5	डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, एलआईसी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली ~~110001~~	जनसत्ता	03.02.15 वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग
6	नैशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल, संस्थानिक क्षेत्रलोदी रोड, नईदिल्ली	-यथोक्त-	03.02.15 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन
7	दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 'आईटीओ, नई दिल्ली 110002	-यथोक्त-	28.01.15 उच्चतर शिक्षा विभाग
8	सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेन्ट्रल डिवीजन, त्रिवेन्द्रम	नवभारत टाइन्स	11.12.14 शहरी विकास मंत्रालय
9	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलॉजी, कुरुक्षेत्र 116119मा.सं.वि.मंत्रालय	दैनिक जागरण	09.12.14 उच्चतर शिक्षा विभाग
10	आर्टीफिसियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीटी रोड, कानपुर 209217 ~~(रक्षा मंत्रालय)~~	नव भारत ठिम्स	22.01.15 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
11	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट एंड पंचायती राज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद, 500030(ग्रामीण विकास मंत्रालय)	दैनिक जागरण	22.01.15 ग्रामीण विकास मंत्रालय
12	फॉरेस्ट रिसर्चइंस्टीट्यूट(डीम्ड) यूनिवर्सिटी, देहरादून 248195 (वन और पर्यावरण मंत्रालय)	-यथोक्त-	25.01.15 पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों के विरद्व यथोचित कार्रवाई की जाए तथा इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जाँच कराने के साथ-साथ इस संबंध में यथोचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें कि ये वितज्ञापन हिंदी में भी जारी हुए हैं इस संबंध में कृत कार्रवाई/वस्तुस्थिति से न्यास को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

संलग्न- कतरनें (12)

भवदीय,
दीनानाथ बत्रा
(दीनानाथ बत्रा)
अध्यक्ष

195/हिंदी
30/3/15

क्र. सं. 33 (अ)

10257/DS/हिंदी
26/3/15

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028
☎:– 011–25898023, 65794966, 9811126445, 9868100445
website:bharatiyashikasha.com, Email:dina_nathbatra@hotmail.com, atulssun@gmail.com

पत्र सं:शि.स.उ.न्यास/ के.स./1 /2014-15

17 मार्च, 2015

J 5 (04

24 MAR 2015

संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन.डी.सी.सी. भवन II, 4थी मंजिल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001

विषय- केन्द्रीय सरकारों के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचाक पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के बजाय हिंदी में दिये जाना

उपरोक्त विषय पर आपके ध्यान में लाया जाता है कि राजभाषा विभाग के आदेशों के विपरीत निम्नलिखित कार्यालयों/संगठनों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिये गये हैं. इनकी कतरनें आगे की यथाआवश्यक कार्रवाई के लिये पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं.-

क्र	कार्यालय/संगठन	समाचार पत्र	दिलांक
1	ऋण वसूली प्राधिकरण II चंडीगढ़(वित्त मंत्रालय)	जनसत्ता	13.02.15
2	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र 136119	दैनिक भैप्कर	15.03.15
3	मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, सेक्टर 8 फेज 1, द्वारका, नई दिल्ली 110077	दैनिक भाष्कर	11.10.14
4	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान , गोविंदपुरी, ग्वालियर	दैनिक जागरण	15.02.15
5	डा.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,जी.टी. रोड, जलंधर 144011	दैनिक भाष्कर	15.03.15
6	सेंटर ऑफ इन्नोवेटिवएंड एप्लायड बॉयोप्रोसेसिंग, फेज VII, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली 160071	दैनिक भाष्कर	15.03.15
7	नोएडा मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.,मेन एडमिनिस्ट्रेटिव भिल्डिंग, सेक्टर 6, नोएडा 201301	दैनिक जागरण	17.02.15
झ8	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेकनॉलाऐजी, संगरूर 148106	दौनिक जागरण	18.02.15
9	ओ.एन.जी.सी. वडोदरा पेट्रो एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	-यथोक्त-	17.02.15
10	सी डैक संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-यथोक्त-	17.02.15
11	हैड क्वार्टर, नार्दर्न कमांड (ईएमई ब्रांच)	-यथोक्त-	24.02.15
12	अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, , अलीगढ 202002	-यथोक्त-	08.03.15
13	इंडियन रेलवेज, रिसर्च डिजायन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाजेशन, मानक नगर, लखनऊ 226001	-यथोक्त-	05.03.15
14	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), भुबनेश्वर 751019	-यथोक्त-	15.03.15
15	रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, नसीम बाग कैंपस, श्रीनगर	-यथोक्त	24.02.15
16	ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स, सीजीओ कांप्लेक्स, फरीदाबाद	-यथोक्त-	27.02.15
17	केन्द्रीय विद्यालय, सोनीपत 131103	-यथोक्त-	25.02.15
18	नॉर्थ ईस्टर्न कौंसिल सेक्रेटरियेट,नौन्ग्रिम हिल्स, सिलांग	-यथोक्त-	13.02.15

आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाए तथा इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जाँच कराने के साथ-साथ इस संबंध में यथोचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित कर लें कि इनके हिंदी पाठ भी प्रकाशित हुए हैं. इस संबंध में कृत कार्रवाई/वस्तुस्थिति से न्यास को भी अवगत कराने काकष्ट करें.

भवदीय,
दीनानाथ बत्रा
(दीनानाथ बत्रा)
अध्यक्ष

संलग्न- कतरनें (15)

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

सरस्वती बाल मन्दिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–110028
☎:– 011–25698023, 65794966, 9811126445, 9868100445
website:bharatiyashikasha.com, Email:dina_nathbatra@hotmail.com, atulssun@gmail.com

पत्र सं.शि.स.उ.न्यास/के.स./1 /2014-15

19 मार्च, 2015

संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एन.डी.सी.सी. भवन II, 4थी मंजिल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली 110001

विषय- केन्दीय सरकारों के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिंदी के समाचाक पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी के बजाय हिंदी में दिये जाना

उपरोक्त विषय पर आपके ध्यान में लाया जाता है कि राजभाषा विभाग के आदेशों के विपरीत निम्नलिखित कार्यालयों/संगठनों द्वारा हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिये गये हैं. इनकी कतरनें आगे की यथाआवश्यक कार्रवाई के लिये पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं.-

क्र	कार्यालय/संगठन	समाचार पत्र	दिलांक
1	प्रसार भारती, सेन्ट्रल प्रोडक्सन सेंटर, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049	पंजाब केसरी	12.02.15
2	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडीया क्षे. का., जवाहर मार्केट, मॉडल टाउन, रोहतक 124001.	सहारा	26.02.15
3	मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद 500032	-यथोक्त-	24.02.15
4	साएचटी हैडक्वार्टर , दिल्ली एरिया, दिल्ली कैंट	जनसत्ता	05.03.15
5	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सेक्टक 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया लोएडा 201309	दैनिक जागरण	03.03.15
6	हैडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड, (आर्टिलरी ब्रांच) रक्षा मंत्रालय	-यथोक्त-	03.03.15
7	आर्म्ड फोर्सेज क्लिनिक, डलहौंजी रोड, नई दिल्ली 110011	दैनिक जागरण	10.03.15
8	ओ.एन.जी.सी. वडोदरा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	दौनिक जागरण	10.03.15
9	उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल, नई दिल्ली	-यथोक्त-	15.02.15
10	पश्चिम मध्य रेलवे, हबीबगंज भोपाल	-यथोक्त-	22.02.15
11	आयकर विभाग, सीजीओ कांप्लेक्स, बी ब्लॉक, फरीदाबाद	-यथोक्त-	05.03.15
12	ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दमन एंड नगर हवेली लि. सोमनाथ	-यथोक्त-	08.03.15
13	भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारतीय आयुध निर्माणियां, मुरादनगर 201206	-यथोक्त-	06.03.15
14	भारत सरकार, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय(आर्मी), महानिदेशालय आयुध सेवायें	-यथोक्त-	06.03.15
15	मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हायवेज, भारत सरकार, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली	-यथोक्त	14.02.15
16	पश्चिम मध्य रेल , जबलपुर	दैनिक भाष्कर	15.02.15
17	स्टेशन हैडक्वार्टर्स, जसई (राजस्थान) बाडमेर 344001 रक्षा मंत्रालय	-यथोक्त-	07.03.15
18	मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हायवेज, भारत सरकार, नई दिल्ली	-यथोक्त-	14.02.15

आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों के विरद्ध यथोचित कार्रवाई की जाए तथा इन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जाँच कराने के साथ-साथ इस संबंध में यथोचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित कर लें कि इनके हिंदी पाठ भी प्रकाशित हुए हैं. इस संबंध में कृत कार्रवाई/वस्तुस्थिति से न्यास को भी अवगत कराने काकष्ट करें.

संलग्न- कतरनें (18)

भवदीय,

(दीनानाथ बत्रा)
अध्यक्ष